

अध्याय 6

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी



पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

6.1 अपशिष्ट/प्रदूषण प्रबन्धन

पर्यावरण अधिनियमों एवं विनियमों के प्रशासन एवं प्रवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी है जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को रोकने एवं कम करने हेतु नीतियाँ बनाने के लिये जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रत्येक उद्योगों, चिकित्सालयों, जल समूहों, अपशिष्ट जल, वायु गुणवत्ता की जाँच एवं अनुश्रवण करता है तथा विभिन्न प्रशासकीय संस्थाओं के साथ, कानून के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु समन्वय बनाता है। कोई भी व्यक्ति/संस्था अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अभियोजित किया जाता है।

महाकुम्भ मेला जैसे विशाल आयोजन हेतु पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण का अत्यधिक महत्व है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि महाकुम्भ मेला हेतु पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई भी प्रभावकारी नियोजन नहीं किया गया था, जबकि इलाहाबाद में मेला क्षेत्र में 55 दिनों तक लगभग 8.5 करोड़ श्रद्धालुओं एवं आगन्तुकों के जमावड़े का अनुमान था। मेला अवधि में अपशिष्ट/प्रदूषण प्रबन्धन, इलाहाबाद शहर के अपशिष्ट प्रबन्धन के अपने अवसंरचनाओं एवं सुविधाओं पर निर्भर था जबकि इलाहाबाद शहर में अपशिष्ट प्रबन्धन सम्बन्धी विद्यमान सुविधायें, शहर की प्रतिदिन की आबादी हेतु ही पर्याप्त नहीं थीं। महाकुम्भ मेला हेतु अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त व्यवस्थायें/योजनायें नहीं बनाई गयीं। लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के प्रबन्धन में संज्ञान में आयी कमियों की चर्चा आगे की गयी है:

6.2 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं घरों द्वारा निकाले गये अपशिष्ट सम्मिलित हैं। नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण खुले में करने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों के फैलने का कारण बनता है तथा मृदा, वायु एवं जल को प्रदूषित करता है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण, ढुलाई, प्रसंस्करण एवं निस्तारण नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं नियम, 2000) के अनुसार किया जाता है।

मेला अवधि में नगरीय ठोस अपशिष्ट¹ के प्रबन्धन हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण² के द्वारा दिसम्बर 2012 में एक फर्म के साथ अनुबन्ध गठित किया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त फर्म के साथ इलाहाबाद नगर निगम ने भी पहले से ही शहरी क्षेत्र के नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु अनुबन्ध किया गया था। अपर निदेशक द्वारा फर्म की महाकुम्भ मेले के दौरान निकले अतिरिक्त ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन की क्षमता का आकलन पूर्व में ही कर लिया जाना चाहिए था। अभिलेखों की

¹ महाकुम्भ मेला के दौरान दिनोंक 14.1.2013 से 15.2.2013 के मध्य मेला क्षेत्र में नियमित रूप से निवास करने वाले दो लाख कल्यावासियों द्वारा 200 ग्राम प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्सर्जित करने का अनुमान था। इसके अतिरिक्त, छः स्नान तिथियों पर भी 1,766 मीट्रिक टन अपशिष्ट उत्सर्जित होने का अनुमान था। इस तरह कुल 3.086 मीट्रिक टन अपशिष्ट के उत्सर्जन का अनुमान लगाया गया था।

² मेला क्षेत्र में उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु अपर निदेशक उत्तरदायी थे।

जाँच में प्रकाश में आया कि अनुबन्धित फर्म की क्षमता, शहरी क्षेत्र में निकले ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन हेतु ही पर्याप्त नहीं थी। विवरण अधोलिखित है:

सारणी-1 इलाहाबाद शहर एवं मेला क्षेत्र में उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट के प्रबन्धन का विस्तृत विवरण

(मात्रा मीट्रिक टन में)

क्रम संख्या	माह	इलाहाबाद में उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट		कुल उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट	फर्म द्वारा ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन (प्रतिशत)	अप्रबन्धित ठोस अपशिष्ट (प्रतिशत)
		नगर क्षेत्र	मेला क्षेत्र			
1	दिसम्बर 2012	16,740	2,443	19,183	12,196 (64)	6,987 (36)
2	जनवरी 2013	16,740	2,529	19,269	12,084 (63)	7,185 (37)
3	फरवरी 2013	15,120	2,429	17,549	12,892 (73)	4,657 (27)
4	मार्च 2013	16,740	2,709	19,449	13,163 (68)	6,286 (32)
योग		65,340	10,110	75,450	50,335 (67)	25,115 (33)

(स्रोत: अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा फर्म से एकत्रित सूचना)

जैसा कि उपरोक्त सारणी से विदित है कि फर्म की अपर्याप्त क्षमता के कारण दिसम्बर 2012 से मार्च 2013 की अवधि में निकले कुल नगरीय ठोस अपशिष्टों का 27 प्रतिशत से 37 प्रतिशत तक का प्रबन्धन नहीं किया जा सका था।

अग्रेतर, अभिलेखों की लेखापरीक्षा से प्रकाश में आया कि नगर निगम इलाहाबाद द्वारा विकास खण्ड चाका में प्रदान की गई भूमि पर, 600 मीट्रिक टन प्रतिदिन जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट की प्रबन्धन क्षमता वाले एक प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना हेतु निर्माण एवं परिकल्प सेवा, उत्तर प्रदेश, जल निगम ने, नगर निगम इलाहाबाद की ओर से मार्च 2010 में उक्त फर्म के साथ अनुबन्ध किया था। अभिलेखों से यद्यपि प्रकाश में आया कि प्रसंस्करण प्लांट जून 2013 तक भी पूर्ण रूप से संचालित नहीं था तथा फर्म अपनी सीमित क्षमता से शहरी क्षेत्र के नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन कर रही थी।



मेला क्षेत्र में अप्रबन्धित ठोस अपशिष्ट (काली मार्ग एवं शास्त्री पुल के मध्य) दिनांक 15.02.2013

अस्तु, अपर निदेशक ने फर्म की नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन की अक्षमता को ध्यान न रखते हुए महाकुम्भ मेला में जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु फर्म को अनुबन्धित किया जिसके कारण भारी मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन नहीं किया जा सका।

शासन ने उचित उत्तर नहीं दिया तथा नगरीय क्षेत्र में जनित हुए नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा की पुष्टि मात्र की (नवम्बर 2013), जैसा कि उपर्युक्त सारणी-1 में बताया गया है।

6.2.1 मेला क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्राथमिक एकत्रीकरण एवं दुलाई पर परिहार्य व्यय

अनुबन्ध के अन्तर्गत, फर्म द्वारा शहर में चिन्हित छः³ डम्पिंग स्थलों से नगरीय ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना था। घर-घर से अपशिष्ट एकत्रित करके चिन्हित डम्पिंग स्थल तक दुलाई का कार्य अपर निदेशक द्वारा स्वयं ही करना था। फर्म को ₹ 574 प्रति मीट्रिक टन की दर से कूड़ा टिपिंग फीस⁴ का भुगतान किया जाना था।

जैसा कि प्रस्तर संख्या 6.2 में वर्णित है कि इसी फर्म को शहरी क्षेत्र के ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन का कार्य सौंपा गया था तथा जिस हेतु नगर निगम ₹ 574 प्रति मीट्रिक टन की दर से टिपिंग शुल्क का भुगतान कर रहा था। इस टिपिंग शुल्क में प्राथमिक एवं द्वितीयक परिवहन एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण का कार्य शामिल था। इसके विरुद्ध यद्यपि अपर निदेशक ने अनुबन्ध में से प्राथमिक परिवहन का कार्य अलग कर दिया था फिर भी टिपिंग शुल्क का भुगतान उसी दर, अर्थात् ₹ 574 प्रति मीट्रिक टन (कुल भुगतानित धनराशि



ओल्ड जीटी रोड से नागवासुकी मार्ग के दाहिने ओर अप्रबन्धित ठोस अपशिष्ट दिनांक 29.01.2013

₹ 58.04 लाख) से किया। अपर निदेशक ने ₹ 24.40 लाख का भुगतान मेला क्षेत्र में अपशिष्ट के प्राथमिक एकत्रीकरण हेतु किया गया जबकि फर्म ने यह कार्य नहीं किया था। यदि अपर निदेशक द्वारा निगम द्वारा किये गये अनुबन्ध के आधार पर ही फर्म के साथ अनुबन्ध किया गया होता तो ठोस अपशिष्ट के प्राथमिक एकत्रीकरण एवं उसके परिवहन पर किये गये ₹ 24.40 लाख के व्यय को बचाया जा सकता था।

शासन से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मार्च 2014)। यद्यपि, अपर निदेशक, ने तथ्य स्वीकार करते हुये अवगत कराया (मई 2013) कि उक्त सम्बन्धित फर्म के लिये डम्पिंग स्थल ही प्रथम एकत्रीकरण स्थल था। उत्तर से स्वतः सिद्ध था कि ₹ 24.40 लाख का व्यय परिहार्य था।

6.3 भू-जल प्रदूषण का प्रबन्धन

महाकुम्भ मेला के दौरान 33,903 अस्थायी शौचालयों का निर्माण कराया गया था। इन शौचालयों को अस्थायी गद्दों से, इसमें मानव मल-मूत्र एकत्र करने हेतु, संयोजित किया गया था। पिट शौचालयों में एकत्रित मल-मूत्र, मृदा एवं भू-जल के मध्य, कंक्रीट जैसा कोई भौतिक अवरोधक नहीं होता है। अतः पिट शौचालयों के दूषित पदार्थ, भू-जल में घुल जाते हैं, जो इसे प्रदूषित कर देते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि अनेक अध्ययनों⁵ में उद्धृत है कि पिट शौचालयों से निकलने वाले माइक्रोब्स, भू-जल को प्रदूषित करते हैं। पिट शौचालयों के नजदीक घरेलू कुओं में फीकल कॉलीफार्म अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। महाकुम्भ मेला के दौरान पिट शौचालयों के

³ बेरहना, बदरा सोनोटी, त्रिवेणीपुरम, सीएमपी डिग्री कालेज के पास, मेवा लाल की बगिया एवं अमिताभ बच्चन रोड के पास पुलिया।

⁴ अपशिष्ट के परिवहन एवं घर-घर एकत्रीकरण के लिये फर्म द्वारा भारित शुल्क।

⁵ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2006 में अध्ययन किया गया।

वैकल्पिक⁶ उपाय की योजना न तो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा और न ही मेला प्रशासन एवं अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार की गयी थी।

आगे यह भी पाया गया कि अपर निदेशक ने महाकुम्भ मेला के बीत जाने पर इन शौचालयों के ध्वस्तीकरण हेतु योजना तैयार की थी और शौचालयों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों को निकालकर उनको नीलामी द्वारा निस्तारित किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि महाकुम्भ मेला के दौरान निर्मित 33,903 अस्थायी शौचालयों में 80,000 रनिंग फिट पीवीसी⁷ साइफन पाइप का प्रयोग किया गया था। अस्थायी शौचालयों के ध्वस्तीकरण में इन साइफन पाइपों को जमीन में ही दबा हुआ छोड़ दिया गया था। पीवीसी पाइप प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाला पदार्थ (नान-बायोडिग्रेडेबल) नहीं है जिसके कारण मृदा एवं भू-जल प्रदूषित हुआ।

शासन द्वारा उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2014)। यद्यपि, अपर निदेशक द्वारा बताया गया (अगस्त 2013) कि शौचालयों के ध्वस्तीकरण में पाइपों को निकालने की कोई योजना नहीं थी।

6.4 जल प्रदूषण प्रबन्धन

जल प्रदूषण, जल के दूषित होने अथवा जल के जैविक, भौतिक, रासायनिक गुणों में ऐसे परिवर्तन जो जनस्वास्थ्य, जानवरों, पौधों एवं जलचरों के जीवन को हानि पहुँचाते हैं, को इंगित करता है। जल प्रदूषण का प्रबन्धन जल (प्रदूषण से बचाव एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के द्वारा किया जाता है।

6.4.1 महाकुम्भ मेला के दौरान नदियों के जल की गुणवत्ता

महाकुम्भ मेला के दौरान गंगा, यमुना एवं संगम में श्रद्धालुओं के लिये पवित्र स्नान हेतु सुरक्षित जल की व्यवस्था किया जाना था। स्नान हेतु स्वच्छ जल की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तरदायी था, जिसके द्वारा गंगा एवं यमुना नदी के नौ चिन्हित स्थानों⁸ पर प्रति दिन दो-दो नमूनों को एकत्र किये जाने का तंत्र स्थापित था।


(i) बायो-केमिकल आक्सीजन डिमाण्ड का स्तर

आई.एस.कोड 2296-1982 (वर्ग 'ब'-तालिका-02) के अनुसार जल में स्वच्छ एवं सुरक्षित स्नान हेतु बायो-केमिकल आक्सीजन डिमाण्ड की अधिकतम मात्रा 3.0 मिलीग्राम प्रति लीटर अनुमन्य है जबकि गंगा एवं यमुना नदियों के चिन्हित नौ जाँच स्थलों पर बायो-केमिकल आक्सीजन डिमाण्ड का स्तर 3.4 से 8.5 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया।

⁶ जैविक शौचालयों के विभिन्न मॉडलों जैसे वैक्यूम शौचालयों, जीरो डिस्चार्ज शौचालयों, एरोबिक एवं अनएरोबिक का उपयोग प्रचलित है। ठोस एवं द्रव्य के पृथक्कीकरण के सिद्धान्त पर जीरो डिस्चार्ज शौचालयों का संचालन जिसमें मल के ठोस हिस्से को पिट में डालकर जैविक खाद हेतु प्रयोग किया जाता है एवं द्रव भाग छनकर, उपचारित होकर एवं रिसाइकिल होकर फ्लशिंग हेतु पुनः उपयोग किया जाता है।

⁷ पाली विनायल क्लोराइड।

⁸ (1) अपस्ट्रीम गंगा (रसूलाबाद), (2) नारायणी गंगा घाट (शिवकुटी) (3) अपस्ट्रीम सलोरी, (4) डाउनस्ट्रीम शास्त्री ब्रिज, (5) डाउनस्ट्रीम सलोरी (6) मुख्य संगम (7) सरस्वती घाट, (8) अरैल घाट एवं (9) डाउनस्ट्रीम संगम मवइया।



(ii) कॉलीफार्म का स्तर (फीकल बैक्टीरिया)

कॉलीफार्म एवं फीकल स्ट्रेप्टोकोसी⁹ पैथोजेनिक (रोगजनक) बैक्टीरिया, वायरस एवं प्रोटोजोआ की उपस्थिति की सम्भावना का सूचक है जो मानव एवं जानवरों के पाचन तंत्र में रहते हैं। सर्वाधिक सामान्य फीकल बैक्टीरिया के सूचक कुल कॉलीफार्म¹⁰ एवं फीकल कॉलीफार्म हैं।

स्नान हेतु जल में कुल कॉलीफार्म की अनुमन्य सीमा 500 एमपीएन¹¹ प्रति 100 मिली निर्धारित है। महाकुम्भ मेले के दौरान कुल कॉलीफार्म के मापने हेतु गंगा एवं यमुना नदी में पाँच जाँच स्थल¹² चिन्हित किये गये थे। जबकि, महाकुम्भ मेला में कुल कॉलीफार्म की सीमा 3,300 एमपीएन प्रति 100 मिली एवं 39,000 एमपीएन प्रति 100 मिली के मध्य (अनुमन्य स्तर 500 एमपीएन प्रति 100 मिली के सापेक्ष) पायी गयी जिसका विवरण **परिशिष्ट 6.1** में दर्शाया गया है।

बायो-केमिकल आक्सीजन डिमाण्ड एवं कॉलीफार्म के बढ़े स्तर के कारण महाकुम्भ मेला के दौरान नदियों में स्नान हेतु जल सुरक्षित नहीं था।

शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2014)। यद्यपि, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया।

6.5 वायु प्रदूषण का प्रबन्धन

धूल, परागकण, काजल, धुआँ एवं द्रव्य बूँदें जैसे विभिन्न कण, वायु को प्रदूषित करते हैं। इनमें से अधिकांश, विशेष रूप से अत्यधिक छोटे कण, फेफड़ों के अन्दर पहुँचने पर मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होते हैं। ये कण या तो कारखाने, वाहन एवं धूल भरी आँधी से सीधे वायु में मिलकर अथवा वातावरण में छोड़ी गई गैसों से परिवर्तित

⁹ दो बैक्टीरिया समूहों के सदस्य।
¹⁰ कुल कॉलीफार्म में बैक्टीरिया के समूह शामिल होते हैं, जो प्रकृति में फैले होते हैं। कुल कॉलीफार्म की, फीकल प्रदूषण के सूचक के रूप में उपयोगिता, बैक्टीरिया प्रजाति के फीकल एवं मनुष्यों में पाये जाने की सीमा पर निर्भर है।
¹¹ एमपीएन-सर्वाधिक सम्भावित संख्या।
¹² अपस्ट्रीम गंगा (रसूलाबाद), (2) डाउनस्ट्रीम गंगा शास्त्री ब्रिज (3) मुख्य संगम (4) डाउनस्ट्रीम संगम मवइया एवं (5) सरस्वती घाट।

होकर वायु को प्रदूषित करते हैं। वायु (प्रदूषण से बचाव एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, संशोधित नियम 1987, वायु प्रदूषण के प्रबन्धन को नियंत्रित करते हैं।

शहर में वायु प्रदूषण से बचाव एवं नियंत्रण हेतु, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वृहद कार्य योजना बनाना एवं विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थाओं से प्रभावी समन्वय स्थापित करके निष्पादन किया जाना था, जिससे वायु प्रदूषण को सुरक्षित सीमा तक रखा जा सके। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय एम्बियेन्ट वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किया था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि महाकुम्भ मेला के दौरान वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव को रोकने हेतु वृहद योजना तैयार करने के बजाय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद को वायु प्रदूषण को मापने हेतु नियोजित किया। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शहर के तीन बिन्दुओं (अलोपीबाग चौराहा, जानसेनगंज चौराहा एवं पराग डेरी, रामबाग) को वायु में रेस्पिरेबिल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर एवं सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर को मापने हेतु चिन्हित किया था। मापन प्रतिदिन किया जाना था। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा दी गयी सूचना से उद्घटित हुआ कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किसी भी स्नान तिथि पर वायु प्रदूषण के मापन का कार्य नहीं किया गया था। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा शहर के व्यस्ततम क्षेत्र में स्नान तिथियों के एक दिन बाद की तिथियों पर की गयी मापी के अनुसार रेस्पिरेबिल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर एवं सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर की स्थिति निम्नवत थी:

सारणी-2: जानसेनगंज चौराहे पर रेस्पिरेबिल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर एवं सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर की स्थिति

क्रम संख्या	मापन की तिथि	स्नान तिथियों के बाद	रेस्पिरेबिल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (अनुमन्य सीमा 60µ ग्राम/घन मीटर)	सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (अनुमन्य सीमा 100 µ ग्राम/घन मीटर)
1	15.01.2013	मकर संक्रांति	241.33	341.94
2	29.01.2013	पौष पूर्णिमा	362.61	467.43
3	12.02.2013	मौनी अमावस्या	348.80	546.93
4	19.02.2013	बसन्त पंचमी	360.50	410.53
5	26.02.2013	माघी पूर्णिमा	265.90	545.76
6	12.03.2013	महाशिवरात्रि	264.05	431.65

(स्रोत: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद द्वारा दी गयी सूचना)

उपर्युक्त सारणी से विदित है कि रेस्पिरेबिल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर एवं सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर, अनुमन्य सीमाओं के सापेक्ष बहुत अधिक था। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रेस्पिरेबिल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर एवं सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को अनुमन्य सीमाओं के अन्तर्गत रखने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अग्रतेर, पुलिस अधीक्षक. (यातायात), इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं की संवीक्षा में पाया गया कि श्रद्धालुओं की माह दिसम्बर 2012 से मार्च 2013¹³ के मध्य वायु प्रदूषण की सुरक्षा को उपेक्षित करते हुए वाहनों से अत्यधिक उत्सर्जित धुएँ की सघन जाँच हेतु कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया था।

¹³ इस अवधि के दौरान वाहनों के परिचालन में कई गुना वृद्धि हुई।

शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2014)। यद्यपि, पुलिस अधीक्षक (यातायात) ने अपने उत्तर में स्वीकार किया (अगस्त 2013) कि महाकुम्भ मेला के दौरान वाहनों के धुएँ की सघन जाँच हेतु कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया था।

6.6 निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट प्रबन्धन

निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट में कंक्रीट प्लास्टर, ईटों, धातुओं, लकड़ी, प्लास्टिक आदि सम्मिलित होते हैं। महाकुम्भ मेला के दौरान अत्यधिक सड़क निर्माण कार्य, सीवर आदि के निर्माण कार्य तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के कार्यों की वजह से विगत दो वर्षों से निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट एक बड़ी चुनौती थी। इलाहाबाद नगर निगम के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि महाकुम्भ मेला तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत सम्पादित निर्माण कार्यों से उत्पन्न हुए निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी।

उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2014)। यद्यपि, इलाहाबाद नगर निगम द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुये अवगत कराया (अगस्त 2013) कि निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट का प्रबन्धन उनके द्वारा स्वयं किया गया था परन्तु इस सम्बन्ध में की गयी व्यवस्थाओं का कोई विवरण नहीं दिया गया।

6.7 पारिस्थितिकी-पर्यटन हेतु व्यवस्था न होना

इलाहाबाद में माघ मेला/महाकुम्भ मेला के धार्मिक महत्व के साथ-साथ यह विश्व में, पारिस्थितिकी-पर्यटन को भी आकर्षित करता है। साइबेरियन पक्षी तथा गंगा डॉल्फिन आगन्तुकों को आकर्षित करते हैं। प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में असंख्य साइबेरियन पक्षी साइबेरिया से विस्थापित होकर संगम को अपना ठिकाना बनाते हैं।

जाँच में पाया गया कि महाकुम्भ मेला में करोड़ों रुपये व्यय किये जाने के उपरान्त भी पारिस्थितिकी-पर्यटन के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु कोई योजना नहीं बनायी गयी। परिणामस्वरूप, पारिस्थितिकी-पर्यटन पूर्णतः उपेक्षित रहा।

6.8 संस्तुतियाँ

- मेला के दौरान विशाल जनसमूह के आगमन के फलस्वरूप होने वाले प्रदूषण को कम करने तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को होने वाली क्षति से बचाव/निवारण हेतु प्रभावी एवं लक्षित व्यवस्थायें की जानी चाहिये;
- लागू कानूनों का पालन करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्टों, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि हेतु पर्याप्त एवं प्रभावी व्यवस्थायें की जानी चाहिये तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इनका अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए;
- किसी भौतिक अवरोधक के अभाव में, शौचालयों का दूषित जल, भू-जल में प्रवेश करके इसे प्रदूषित कर देता है। भू-जल को इस प्रकार से प्रदूषित होने से बचाने हेतु जैविक शौचालयों का प्रावधान किया जाना चा

ल आक्सीजन डिमाण्ड एवं कॉलीफार्म स्तर को निर्धारित सीमा तक बनाए रखने हेतु कठोर कदम उठाये जाने चाहिये।